07 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

7 (क) मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना, 02 वर्ष की बालिकाओं को सम्पूर्ण टीकाकरण करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा में लाना है, जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं द्वारा परिवार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रू. 2,000 दी जायेगी तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने तथा आधार पंजीकरण किये जाने के बाद रू. 1,000 उक्त खाते में पुनः देय होगा। यह लाभ दो कन्या शिशु तक ही देय होगा। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से उपलब्ध कराई गयी सूची एवं बैंक खाते में सीधे Parent & Child Account के माध्यम से NEFT/RTGS से राशि का हस्तांतरण किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत 2 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बच्चियों के सम्पूर्ण टीकाकरण कराने के उपरान्त प्रति लाभार्थी बच्ची के माता/पिता/अभिभावक को रू. 2,000 डी.बी.टी. के माध्यम से दिया जायेगा। राशि के वितरण से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

शिक्षा विभाग अन्तर्गत उपर्युक्त संचालित योजनाओं से राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रोजेक्ट विद्यालय सहित)/प्रस्वीकृत/संबद्धता प्राप्त विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित विद्यालय/राजकीय महाविद्यालय/अंगीभूत एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) महाविद्यालय की छात्राएँ लाभान्वित होंगी। राशि का वितरण डी.बी.टी. के तहत बालिकाओं को उनके बैंक खाते में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अंतरित किया जायेगा। योजना से संबंधित दिशा–निर्देश एवं एतद संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

इस योजना से संबंधित राशि का वितरण Parent & Child Account एवं डी.बी.टी. के माध्यम से किया जायेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता एवं सुगमता होगी, वहीं दूसरी ओर धनराशि के वितरण में Parent & Child Account एवं डी.बी.टी. की व्यवस्था होने से सरलता एवं पारदर्शिता भी आएगी साथ ही प्रक्रियात्मक एकरूपता होने से लाभार्थियों को भी संशय कम होगा और उन्हें भी योजना का लाभ समझने एवं उसे प्राप्त करने में आसानी होगी।

पटना, दिनांक : 25/04/2018

अधिसूचना संख्या: 3/यो0–29/2018–2434

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्य तथ्य:

योजना का नाम : मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

1. **योजना का उद्देश्य :**

(i) कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।

(ii) कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना।

(iii) लिंग अनुपात में वृद्धि लाना।

(iv) जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना।

(v) 2 वर्ष की बालिकाओं को सम्पूर्ण टीकाकरण करना।

(vi) बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना।

(vii) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।

(viii) बाल विवाह पर अंकुश लगाना।

(ix) कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाना।

2. **लक्ष्य समूह :**

(i) इस योजना का लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से जन्म लेने वाली बच्ची को देय होगा।

(ii) इस योजना का लाभ परिवार की मात्र दो कन्या संतानों को ही देय होगा।

(iii) बिहार के निवासी परिवार को देय होगा।

3. **अनुदान का स्वरूप :**

इस योजना के तहत कन्या के जन्म से 01 वर्ष तक की आयु वर्ग की प्रति कन्या के माता–पिता / अभिभावक के बैंक खाते में रू. 2,000 (दो हजार) की राशि हस्तांतरित की जायेगी तथा बच्ची की 1 वर्ष पूरे होने एवं आधार पंजीकरण किये जाने के बाद रू. 1,000 (एक हजार) की राशि पुनः उसी खाते में देय होगा।

4. **पात्रता :**

(i) बिहार के निवासी के कन्या संतानों को देय होगा।

(ii) जन्म का विधिवत निबंधन कराया गया हो।

(iii) इस योजना का लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से जन्म ली जाने वाली बच्ची को देय होगा।

(iv) यह लाभ एक परिवार की दो कन्या शिशु तक ही देय होगा।

(v) योजना के लाभार्थी आवेदन की तिथि के प्रथम पावना 0–1 वर्ष की कन्या शिशु के माता / पिता अभिभावक को रू. 2,000 एवं द्वितीय पावना 1–2 वर्ष की कन्या शिशु को रू. 1,000 सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त कन्या शिशु के माता / पिता / अभिभावक को देय होगा।

Scanned by CarbonScanner

5. **आवेदन की प्रक्रिया :**

(i) इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रपत्र बाल विकास परियोजना के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा।

(ii) इस योजना हेतु आवेदन प्रपत्र सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) इस योजना के लाभ हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ संबधित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जमा किया जायेगा।

(iv) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस हेतु स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।

(v) स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र को पंजीकृत करते हुए सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायेंगे।

(vi) सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई का कार्यालय आवेदनों की सूची को संकलित कर इस हेतु उन्हें आवंटित राशि को लाभार्थी के माता/ पिता/अभिभावक के खाते में हस्तांतरण करने की कार्रवाई करेंगे।

6. **आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक कागजात निम्नवत होंगे :**

(i) आवासीय प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(ii) जन्म निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(iii) पहचान–पत्र की छाया प्रति।

(iv) दो कन्या संतान के संबंध में विहित आवेदन प्रपत्र के कॉलम को आँगनबाड़ी सेविका द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।

7. **योजना राशि का प्रबंधन :**

इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निधि की व्यवस्था की जायेगी, इसके तहत समाज कल्याण निदेशालय से इस मद में राशि सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके पश्चात सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा राशि का हस्तांतरण लाभार्थी के माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में कर दिया जायेगा।

8. **भुगतान की प्रक्रिया :**

इस योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर कन्या शिशु के माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रू. 2,000 (दो हजार) की राशि हस्तांतरित की जायेगी तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने पर तथा आधार पंजीकरण किये जाने के उपरांत बच्ची को रू. 1,000 (एक हजार) रूपये की राशि उक्त बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

Scanned by CarbonScanner